

2018/00182

पत्रावली पेश की...

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	48112 रामचन्द्र काम जगदीश आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/6/22	पत्रावली पेश हुई। PO साहब वीरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 29/7/22 को पेश हो। 29/7/22 पत्रावली पेश की गई। अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 30/9/22 को पेश हो।
30/9/22		पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकार 3प। पत्रावली वाले बहस प्र.पत्र T-F दिनांक 11/11/2022 को पेश हो। 11/11/22 पत्रावली पेश हुई। PO साहब वीरे/ अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18/11/22 को पेश हो।
18/11/22		पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकार 3प। पत्रावली में T-F पर बहस बुनी गई। पत्रावली वाले आदेश दिनांक 13/12/22 को पेश हो।
13/12/2022		पत्रावली पेश हुई। बादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा हाजिर। पत्रावली में प्रार्थना-पत्र अस्सी अस्सी निषेधाज्ञा पर स्फुपसीय बहस बुनी गयी। बस्स के दौरान जाहिर तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावलीमय पस्तविजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया है जिसमें

फर्द अहकाम

राज्यपाल लालबहादूर शास्त्री जिला जयपुर

राज्यपाल बनाम जहादीश

दिनांक : 48 / 20 18

क्र. सं.	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>वादग्रस्त भूमि खं. नं. 73 रकबा 47 बीघा 9 बिन्ना पटवाल् हल्का श्यामपुरा कचौलिया, भू - अभिलेख निरीसक क्षेत्र लालगढ़, तहसील बस्ती जिला जयपुर के सम्बन्ध में वाद की विषय - वस्तु को संरक्षित रखने व न्याय हित में अर्थात् सं. 1 को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अनिवादग्रस्त के हिस्से में से अपने 1/4 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान ना करें। एवं प्राथमिक को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल ना करें। फौजला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौजला कुमार डीकर नम्बर से कम है।</p>	

राज्यपाल लालबहादूर शास्त्री जिला जयपुर